

Gr. 30
05/2/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.NO. OF 2014

K.P.A.K. Uchcha Vidyalay, Bakhgarha, Madhepura

-----Petitioner

Vs.

Bihar School Examination Board & Ors.

-----Respondents

SUBJECT- Examination Matter

INDEX

Sr.No.	Particulars	Page No.
1.	An Application under Article 226 of the constitution of India along with duly sworn Affidavit.	1-24
1.	Annexure-1 A Photo copy of the order dated 27.01.2014	25
2.	Annexure-1 A A Photo copy of the letter dated 26.06.2013	26-28
3.	Annexure-2 A Photo copy of the letter dated 01.08.2013	29
4.	Annexure-3 A Photo copy of the letter dated 06.08.2013	30
5.	Annexure-4 A Photo copy of the report dated 22.08.2013	31
6.	Annexure-5 A Photo Copy of the letter dated 26.08.2013	32
7.	Annexure-6 A Photo copy of the letter dated 26.08.2013	33
8.	Annexure-7 A Photo copy of the letter dated 14.11.2013	34
9.	Annexure-8 A Photo copy of the Communique	35
10.	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.NO. OF 2014

K.P.A.K. Uchcha Vidyalay, Bakhgarha, Madhepura

-----Petitioner

Vs.

Bihar School Examination Board & Ors.

-----Respondents

SUBJECT- Examination Matter

SYNOPSIS

LIST OF DATES

- 26.06.2013: The Board directed for constitution of a three men enquiry committee for verification of the genuineness of the students admitted in different Schools.
- 01.08.2013: The District Education Officer directed the District Programme Officer, Accounts & Planning, Madhepura to place the duly filled up O.M.R. Forms as submitted by the School to the duly constituted Enquiry Committee.
- 06.08.2013: The District Education Officer, Madhepura communicated to all the Heads of all the Schools informing therein that different dates have been fixed for verification of the genuineness of the candidature of the Regular and independent students.
- 22.08.2013: The Enquiry Committee after due verification of the relevant records as produced by the Petitioner

submitted its report enclosing all the relevant documents as submitted by the Petitioner.

- 26.08.2013: The District Programme Officer (Madhyamik Shiksha), Madhepura sent the enquiry report as submitted by duly constituted three members enquiry committee to the Secretary of the Bihar School Examination Board, Patna.
- 26.08.2013: The Office of the District Education Officer, Madhepura, Branch - Madhyamik Shiksha sent the filled up OMR Forms related to registration of the students of the Petitioner Institution and others alongwith the requisite Fee through Bank Challan
- 14.11.2013: The District Programme Officer directed all the Block Education Officer to lodge F.I.R. against those Heads of the Schools who have been found to have taken Admission on the basis of forged Transfer Certificate.
- 09.01.2014: A Communique has been published in daily news Paper "Hindustan" with regard to the Programme related to submission and acceptance of Form for Annual Secondary Examination 2014.
- 06.03.2014: Annual Secondary Examination 2014 has to commence.

Hence this Writ Petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J. C. NO. of 2014

In the matter of an Application
Under Article 226 of the
Constitution of India.

And

In the matter of:

K.P.A.K. Uchcha Vidyalay, Bakhgarha, Madhepura through its
Head Master Madan Lal Mahto, aged about 48 Years, Son of Ram
Joti Mahto, Resident of Village – Barahi, P.O. – Anandpura, P.S. –
Udakishunganj, District – Madhepura.

..... Petitioner

V E R S U S

1. Bihar School Examination Board through its Secretary,
Buddha Marg, Patna.
2. The Chairman, Bihar School Examination Board, Buddha Marg,
Patna.
3. The Secretary, Bihar School Examination Board, Buddha Marg,
Patna.

4. The State of Bihar through the Principal Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna.
5. The District Magistrate, Madhepura.
6. The Senior Deputy Collector, Madhepura.
7. The District Programme Officer (Madhyamik Shiksha), Madhepura.
8. The District Education Officer, Madhepura.
9. The Block Education Officer, Udakishunganj, Madhepura.

----- Official Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf
of the petitioner named above,

Most Respectfully Sheweth:

1. That the Petitioner is invoking the writ jurisdiction of this Hon'ble Court for the following reliefs:

- a. For issuance of an appropriate writ/writs, order/orders or direction/directions in the nature of Mandamus commanding the Respondent Board to issue the Registration number of the students of the Petitioner's Institution for which the requisite Fee has already been

accepted by the Respondent Bihar School Examination Board.

- b.** For issuance of an appropriate writ/writs, order/orders or direction/directions in the nature of Mandamus commanding the Respondent Board to issue and accept the Examination Fee and Form of the students of the Petitioners' Institution (2012-2014) and allow them to appear in the Annual Examination 2014 to be held by the Respondent Bihar School Examination Board as announced to be commenced from 06.03.2014.
- c.** For issuance of an appropriate writ holding and declaring the inaction on the part of Respondent Board for not providing Registration numbers and non issuance and acceptance of Examination fee and Forms to those students of the Petitioner's School on the basis of their Admission on the so called Forged Transfer Certificate to be wholly illegal, arbitrary, malafide and discriminatory.
- d.** For issuance of any other order/orders or relief/reliefs for which the petitioner may found to be entitled in the facts and circumstances of the case.

2. That it would be pertinent to state here that the Petitioner was one of the Petitioner (Petitioner No. 8) in C.W.J.C. No. 1966 of 2014 however as per the permission granted by this Hon'ble Court vide its order dated 27.01.2014 deleted the name of petitioner from the cause title of the writ application with liberty to file individual writ applications. The Hon'ble Court in the aforesaid order further indicated that if the Petitioner would file separate writ application, the court fee paid for them in this writ application shall be treated as filed in the said writ application. In view of the aforesaid liberty granted by this Hon'ble Court, the Petitioner is filing the instant Writ Petition and since the Court Fee has already been paid in the Writ Petition bearing C.W.J.C. No. 1966 of 2014, the same is not being paid with the present Writ Petition. The Petitioner has not filed any other Writ Petition before this Hon'ble Court for the reliefs as prayed in Para 1 of the Writ Petition except the aforementioned Case.

A Photo Copy of the order dated 27.01.2014 is annexed herewith and marked as Annexure - 1 to this Writ Petition.

3. That the Petitioner is an Institution duly represented by its Head Master who is a citizen of India and who has been duly authorized to pursue the instant matter for the

aforesaid reliefs by filing the present Writ Petition before this Hon'ble Court and as such invokes extraordinary Jurisdiction of this Hon'ble Court for redressal of its grievances.

4. That the Petitioner is a School having due permission of establishment by the Bihar School Examination Board and as such has due recognition of the Board. The Petitioner has been allotted/provided Code number by the Bihar School Examination Board hereinafter referred to as 'Board'. The Petitioner since having due infrastructure as prescribed by different Rules/Regulations/Circulars have been allotted Code number by the Board. The Petitioner is running its Institution in accordance with the guidelines as provided from time to time by the Board as well as by the State Govt.
5. That the Petitioner as usual has taken Admission of students in its School in accordance with law. As per the decision taken by the Managing Committee vide its different Resolutions that as per the circular of the Secretary, Secondary Education dated 07.05.2003 and notification bearing no. 590 dated 02.06.2000, the students would be admitted in the School in Std. IXth as a first entrance and by filling up of relevant declaratory Form. The News Paper Report was also published in Daily News Paper 'Hindustan' on 23.05.2003 to the aforesaid effect. The

Petitioner took Admission of the students in Std. IXth on the basis of the marks obtained in the test conducted by the Petitioner School. The students however submitted their entire documents including the Transfer Certificate in Original before the authorities of the School after getting successful in the entrance test and then the Admission of the students were taken by the School. The aforesaid Process of Admission is well mentioned in the Admission Register of the School. This is the process as required under the law for taking Admission in School.

6. That the District Education Officer vide its office order as contained in Memo No. 1711 dated 01.08.2013 directed the District Programme Officer, Accounts & Planning, Madhepura to place the duly filled up O.M.R. Forms as submitted by the School to the duly constituted Enquiry Committee. From perusal of the contents of the aforesaid office order, it would appear that an enquiry committee has been constituted for verification of the genuineness of registration of Regular as well as independent students for appearing in the Annual Secondary Examination 2014 conducted by the Board. The aforesaid Committee has been constituted pursuant to the direction of the Board as contained in letter no. 427 dated 26.06.2013.

01.08.2013 are annexed herewith and marked as Annexure - 1 A & 2 to this Writ Petition.

7. That the enquiry Committee of District Education Officer, Madhepura as Convenor, Senior Deputy Collector, Madhepura and District Programme Officer, Accounts and Planning, Madhepura was constituted for verification of the genuineness of the Regular and independent students of the district of Madhepura for registration. All the Heads of the schools of the district of Madhepura were directed that in compliance of the letter dated 26.06.2013 of the Chairman of the Board, the O.M.R. Forms should be filled up. The aforesaid Office order dated 01.08.2013 was communicated to all the Head Masters of the School of Madhepura including the Petitioner for information and necessary compliance.
8. That the District Education Officer, Madhepura vide its letter no. 1752 dated 06.08.2013 communicated to all the Heads of all the Schools informing therein that different dates have been fixed for verification of the genuineness of the candidature of the Regular and independent students. Blockwise dates were fixed for verification starting from 13.08.2013 to 21.08.2013. It was directed by the aforesaid letter that all the necessary records related to the point as mentioned in the letter of the Board dated 26.06.2013

after due verification by the committee, necessary steps may be taken to forward the Registration Forms as submitted by the School.

A Photo Copy of the letter dated 06.08.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 3 to this Writ Petition.

9. That the Petitioner after the receipt of the aforesaid communication dated 06.08.2013 of the District Education Officer, Madhepura and in compliance of the same presented himself before the duly constituted enquiry committee on 13.08.2013 with all the necessary required records for its perusal and verification so that they can verify the genuineness of the admitted students. The representative of the Petitioner presented itself on the scheduled prescribed date i.e. 13.08.2013. The Petitioner's Institution is in Udakishunganj Block.
10. That the representative of the Petitioner's Institution furnished the entire records as required under the letter dated 26.0.2013 including Admission Register, Boys Attendance Register, Cash Book, Pass Book Of Bank Account, Declaratory Form on the basis of which Admission was taken etc. All the relevant documents as submitted by the Petitioner Institution with regard to the process of

Admission were duly verified and scrutinized by the members of the duly constituted Enquiry Committee.

11. That the Enquiry Committee after due verification of the relevant records as produced by the Petitioner submitted its report dated 22.08.2013 enclosing all the relevant documents as submitted by the Petitioner. It was specifically mentioned in the said report that the students have not been registered by the School as independent students. The Enquiry team further mentioned that after due verification of the records as submitted by the Petitioner's Institution, it reveals that the Registration Forms have been filled up of those students who have been duly admitted by the School. This report includes the report of the Petitioner Institution also.

A Photo Copy of the report dated 22.08.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 4 to this Writ Petition.

12. That since the enquiry committee after due satisfaction and verification with regard to the process of Admission in accordance with law found the candidature of the students of the Petitioner Institution to be genuine on the basis of the perusal of the Admission Register and all other relevant documents/records and as such OMR Forms were issued by the Petitioner Institution to the Petitioner for registration of the

admitted students. The three men Committee verified the Admission Register which specifically stated the process of Admission on the basis of 1st entrance test in Std. IXth as per the relevant circular of the State Govt. as mentioned in Para 4 of the Writ Petition.

13. That the O.M.R. Forms were duly filled up by the students of the Petitioner's Institution and after due attestation by the Head of the School, the same was submitted to the office of District Programme Officer, Madhepura.
14. That the District Programme Officer (Madhyamik Shiksha), Madhepura vide its letter bearing no. 142 (Uchha) dated 26.08.2013 sent the enquiry report as submitted by duly constituted three members enquiry committee to the Secretary of the Bihar School Examination Board, Patna. The aforesaid communication was made in compliance of the letter dated 26.06.2013 of the Board.

A Photo Copy of the letter dated 26.08.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 5 to this Writ Petition.

15. That the Office of the District Education Officer, Madhepura, Branch - Madhyamik Shiksha vide its letter no. 143 (Uccha) dated 26.08.13 issued under the signature of the District Programme Officer, Madhyamik Shiksha, Madhepura

addressed to the Secretary of the Respondent Board sent the filled up OMR Forms related to registration of the students of the Petitioner Institution and others alongwith the requisite Fee through Bank Challan. The District Programme Officer sent the aforesaid documents relating to the registration of the students to the office of the Board through its special messenger. The District Programme Officer forwarded the aforesaid documents enclosing the Report of three men enquiry committee.

A Photo Copy of the letter dated 26.08.2013 are annexed herewith and marked as Annexure - 6 to this Writ Petition.

16. That after submission of O.M.R. Forms for registration, the Respondent Board issued the Check List mentioning each and every details of the students and the said Check List was sent to the District Programme Officer with a direction to hand it over to the Heads of the schools to meet out certain clerical/printing errors if any in the description of the details of the students.

17. That the aforesaid Check List was provided to the authorized representatives of the Petitioner for sorting any clerical/printing errors. The Petitioner after due certification of the said Check List submitted the same to

aforesaid Check List duly certified by the Head of the School has been duly forwarded by the D.P.O. to the Respondent Board but till date, the Registration Numbers have not been issued with regard to those students whose Admission has been doubted on the alleged forged Transfer Certificate so that those student of the Petitioners' Institution can fill up its examination Form to appear in the Annual Secondary Examination scheduled in the month of March 2014.

- 18.** That so far as the genuineness of the students admitted in the Institution is concerned, the entire exercise has been completed by three member enquiry committee and the report has already been submitted and that too as per the specific direction of the Board but all of a sudden, the Block Education Officer, Udakishunganj addressed to the head of the Petitioner school stating therein that pursuant to the direction of the District Education Officer, Madhepura and District Programme Officer, Madhepura, the Transfer Certificate of examinees of 2014 has been enquired by the Block Education Officer. In the said letter, it is also mentioned that after verification it has been found that the T.C. Certificate of several candidates are forged and is not genuine. The Heads of Schools were asked to submit their reply to the show cause by the said letter that why necessary Departmental as well as legal action be not initiated against them for taking Admission on Forged

Transfer Certificate. The Head of the Institution was given time till 24 hours from the receipt of the said letter for submitting its reply and explanation. The Petitioner craves leave to produce the aforesaid letter at the time of hearing of the Case.

19. That from perusal of the aforesaid show cause which was sent by the Respondent, it would be apparent that neither the name of the students nor the number of the students whose Transfer Certificate was allegedly found to be forged have been mentioned and only a vague show cause was issued for furnishing the relevant explanation. It was also asked that the verification of the Certificates as submitted by the students have not been done by the School at the time of Admission. The said authority having no Jurisdiction issued such erroneous letters.
20. That the Respondents posted at Madhepura are so biased for the reason best known to them and well apparent from the fact that they by its letter dated 14.11.2013 itself directed all the Block Education Officer to lodge F.I.R. against those Heads of the Schools who have been found to have taken Admission on the basis of forged Transfer Certificate. The Respondents in compliance of the said letter, has already lodged F.I.R against the Heads and

several Members of the Managing Committee of the Schools at Madhepura including that of the Petitioner Institution.

A Photo Copy of the letter dated 14.11.2013 is annexed herewith and marked as Annexure - 7 to this Writ Petition.

21. That the Petitioner however has submitted its reply before the concerned Block Education Officer. The Petitioner personally met and brought to the notice of the Respondents that pursuant to the decision taken by the Managing Committee of the School , the Admission were taken on obtaining Declaratory Form as a first entrance in Std. IXth and further more it specifically stated that the three men enquiry committee has already verified the genuineness of the students of the Petitioner's Institution and on the basis of the same, OMR Form for registration has already been issued and the filled up OMR Forms have already been accepted and forwarded to the Board. The necessary Fee of Registration has already been accepted by the Board. The Check List has already been issued and now at this stage, it can not be said that the Admissions were taken on the basis of forged Transfer Certificate. The Petitioner also stated that the benefit of several schemes have also been given to some of the students as per the policy decision of the State Govt.

22. That the Respondent Board has issued a Communique bearing Advertisement No. 04/2014 on 09.01.2014 in daily news Paper "Hindustan" with regard to Annual Secondary Examination 2014. From the perusal of the said Communique, it would reveal that the Annual Secondary Examination is going to commence from 06th of March 2014. The Programme has been given with regard to issuance and acceptance of Examination Form from the office of the District Education Officer. The Petitioner brings on record the aforesaid Communique for perusal of the same.

A Photo Copy of the Communique is annexed herewith and marked as Annexure - 8 to this Writ Petition.

23. That it would be pertinent to state here that once the duly constituted Committee duly authorized by the Board had already made its due enquiry & due verification of the entire records related to the process of Admission including the Declaratory Form and have submitted report then there was absolutely no occasion for the District Magistrate, Madhepura to suo moto look into the irrelevant issue of Transfer Certificate which is absolutely baseless in view of the Process of Admission being adopted by the Petitioner Institution and without even giving any opportunity of hearing to the Petitioner School or the Student and even without doing any proper enquiry or verification based on

the Admission Register must not have reached to the conclusion that the Transfer Certificate as submitted by the Students were forged one.

24. That neither any show cause notice nor any opportunity of hearing has either been provided to the Petitioner's Institution nor to the concerned students before reaching to the conclusion that the alleged Transfer Certificates as submitted by several of the students are forged.
25. That the Respondents can not play with the career of the students at this stage. If any verification had to be done then it should have been done at the initial stage and not at this stage of examination rather the fact is that the students have been admitted in the Institution as per the declaratory Form submitted by the students as a 1st entrance in Std. IXth in the School which is wholly supported from the circular of the State Govt. as issued in the year 2003. The District Magistrate and his subordinates are not giving reliance on the circular of the State Govt. bearing letter no. 257 dated 07.05.2003 & notification bearing Memo No. 590 dated 02.06.2000 issued by the Secretary of Secondary Education to all the District Magistrates of the State and that circular is still in force.
26. That at this stage, it would be pertinent to state here that

issued/communicated any other guidelines to the Schools like the Petitioner mentioning the guidelines or procedures with regard to Admission of students. No communication has ever been made by the Respondents with regard to any verification of Transfer of Certificate submitted by the students at the time of Admission and for the first time, this system has been developed. The petitioner under genuine belief accepted the Certificates as submitted by the Students at the time of taking Admission. The Transfer Certificate was accepted by the Petitioner in Original from the students at the time of Admission.

27. That at this stage, it would be relevant to point out here that since there was no circular/guideline for verification of the Certificates submitted by the students at the time of taking Admission and that too when there was a specific circular of the State Govt. with regard to the conducting of entrance test for Admission as 1st Entrance in Std. IXth, there was at all no requirement for taking Admission on the basis of Transfer Certificate or its verification. The aforesaid stand of the Petitioner finds support from the fact that in all the Schools of the district of Madhepura including the Government Schools, such procedure with regard to verification of Transfer Certificate at the time of Admission has not been followed as the same was at all not required in view of the aforesaid statement and it has been alleged by

the Respondents that in all the schools, after verification, a large number of Transfer Certificates has been found to be not genuine. The Respondents does not disclose the Procedure which they have adopted for such verification and just in a vague manner, it is being stated that the same has been found to be forged after verification.

28. That in the garb of such ex-parte report of the Respondents, the students of the Institution is suffering and their career is at stake for no fault on their part. The Head of the Institution is also fleeing because of the F.I.R. lodged by the authorities on erroneous grounds. The students as well as their guardians are also pressurizing the Institution as their Career are at stake even though the students have been admitted in accordance with law and have pursued their Regular studies in the Petitioner School. The District Magistrate or the Block Education Officer has absolutely no Jurisdiction to intervene in the present matter.

29. The Respondent Board can not sit over the matter after acceptance of OMR Forms for registration and that too after due verification by a three men enquiry committee and even after acceptance of the Fees of Registration. The acts of the Respondents amount to promissory estoppels and playing with the Career of the students duly admitted in the Petitioner School. The respondents are giving weightage on

the genuineness of the students on the basis of alleged Forged Transfer Certificate which has absolutely no relevance in the eye of law and more particularly in view of the Process of Admission adopted by the School. The Respondents District Magistrate is not considering the actual process of Admission as mentioned in the Attendance Register and further more the Attendance Register which would show that the students have regularly pursued their studies.

30. That the Police during course of investigation has found the due process of Admission as mentioned in the Writ Petition.

31. That the students of the Petitioners' Institution whose Registration Forms have been submitted have pursued their regular studies in the School and after due registration by the Board appeared in the sent up examination and have passed the said sent up examination held on the scheduled dates as given by the Board by its Communique. After passing out the sent up examination after due registration by the Board, the Board can not take U turn on the basis of the so called report of the District Magistrate. As per the relevant Regulation of the Bihar School Examination Board, Once the Students after registration appears and pass in the sent up examination, it is the bounden duty of the Board to make all the necessary

arrangements to make them appear in the examination. The Board at this stage can not refuse the Registration number on the so called allegation of Admission of some of the students on the basis of forged Transfer Certificate.

32. That the Petitioner has approached from pillar to post for redressal of its grievances but the authorities are giving deaf ear on the representation of the petitioner.
33. That a statutory authority like the Respondent Board can not act in a manner in which it is acting and has no right to play with the career of the innocent and bonafide students who have pursued their studies in the Petitioner's School.
34. That the careers of the students are at stake for no fault on their part but rather for the laches or inaction on the part of the Respondent Board, the students are suffering. The future of the students are at dark and their young career will be spoiled if the necessary Registration Number as well as Examination form would not be issued and then accepted by the board and they are not allowed to appear in the Examination.
35. That since the registration fee were deposited by the within time alongwith filled up OMR duly forwarded by the District Education Officer to the Respondent Board,

Board is obliged to issue the Registration number and also issue and accept the Examination Form as well as Examination Fees so that they can appear in the examination to be conducted by the board.

36. That due to the lethargic and callous approach of the Respondents, the atmosphere in the School has become worse and even the image of the Schools at Madhepura is being tarnished by such acts of the Respondents.
37. That in the facts and circumstances of the case, it is just and expedient in the interest of justice, fair play and equity that this Hon'ble Court may interfere in the matter and direct the Board to issue the Registration number of the Students of the Petitioners' Institution and further issue and accept the Examination Forms so that they can appear in the examination scheduled to commence in the month of March 2014.
38. That the action of the Respondents is wholly arbitrary, illegal and malafide and is in teeth of principles of natural justice and also amounts to Promissory Estoppels.
39. That the inaction on the part of the Respondents are Writ large and this court must exercise its Jurisdiction under Article 226 of the constitution of India.

40. That the Petitioner craves leave of this Hon'ble Court to bring on record all other relevant documents about which discussion have been made in the present Writ Petition by way of supplementary Affidavit as and when required by this Hon'ble Court at the time of hearing of the Case.
41. That the Petitioner has no other equally efficacious alternative remedy than to move before this Hon'ble court.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this application, issue rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs sought for in paragraph no.-1 of this writ application be not granted and on return of the rule and on such cause as may be shown and hearing the parties make the rule absolute.

And/Or

During the pendency of the Writ Petition,

& accept the Examination Form of the
students of the Petitioner's Institution.

And/Or

Pass such other order or orders as your
lordships may deem fit and proper in the
facts and circumstances of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Madan Lal Mahto, aged about 48 Years, Son of Ram Joti Mahto, Resident of Village - Barahi, P.O. - Anandpura, P.S. - Udakishunganj, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That, I am representing the Petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, I have read the contents of this petition and have understood the same and the statements made in paragraphs are true to my knowledge, information derived from records of the case and by way of submission before this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photo copies of their respective originals.

मदन लाल महराज

Arun 1

25

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.1966 of 2014

Shivanand Kanta Kanya Uchcha Vidyalay & Ors Petitioner/s

Versus
Bihar School Examination Board & Ors Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Arun Kumar
For the Respondent/s : Mr. Gp-3 Haris Kumar

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE JAYANANDAN SINGH
ORAL ORDER

2 27-01-2014

Learned counsel for petitioner seeks permission to delete the name of petitioner nos. 2 & 9 from the cause title of the writ application with liberty to them to file individual writ applications.

Permission granted. Let it be done.

If any of the said petitioners file separate writ application, the court fee paid for them in this writ application shall be treated as filed in the said writ application.

Learned counsel for the State prays for and is granted one month time to file a counter affidavit specifically stating therein

as to what was the basis for issue of Annexure-7 to the concerned institutions.

Put up on next Monday at the same position.

Learned counsel for the Board may also take instructions and file an affidavit in the meanwhile.

Sd/-

(Jayanandan Singh, J)

Arvind/-

CONTINUED TO BE NEW PAGES

All set
31.01.14
For Joint Registrar
Patna High Court

Authorised U/S 76 Act 1 of 1972

Jayanandan Singh
31.1.2014
29.9.99/134

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION OFFICE PATNA
PATTAN CO-OP. PATNA
COURT FEE
STAMP DUTY
00000
375448
BIHAR JUDICIAL
1654 7618386
INDIA
Authorization No. 2674

COPYING WRIT


Ann - 1A

26

पदाधिकारी
संख्या 3110

पत्रांक : 427

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, Patna



श्री राजमणि प्रसाद सिंह
अध्यक्ष
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

V.V. Singh
S. S. Singh
Patna

1. सभी जिला पदाधिकारी
2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

विषय : वार्षिक माध्यमिक परीक्षा- 2014 में सम्मिलित होने हेतु विद्यालयों स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन के संबंध में।

नमस्कार,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा की शिक्षा प्रदान करनेवाले सभी कोटि के शिक्षण संस्थानों (यथा, राजकीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय/ प्रवीकृत/स अनुमति/ सम्मति-प्राप्त आदि) के नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के आपके कार्यालय में विद्यालयों को वितरित किए जाने हेतु भेजे जा रहे हैं।

शिक्षकों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक है कि सही अनर्थिक परीक्षा हेतु किया जाए और इस कार्य में आपके सहयोग को साथ-साथ आपका सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।

निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए अपने क्षेत्रान्तर्गत ओ0एन0आर0 प्रपत्र भराने की कारवाई सुनिश्चित करायी जाये :-

1. ऐसा प्राया जा रहा है कि राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक स्वत्वाधारक विद्यालय/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय, किसी को छात्र/छात्राओं को अपने विद्यालय में नियमित रूप से नामांकित लेते हैं जबकि वास्तव में वे उक्त विद्यालय में पठन-पाठन न नामांकन-पंजी-एव-टी0-सी0-आई-फाइल-फोर्स-बुक/रसीद, उप तिथि/राशि तथा अन्य अभिलेख से करायी जाये जिससे कि ऐ सके।

2. जिला स्थित सभी राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/स्वत्वाधारक विद्यालय/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय आदि विद्यालयों से अनुसूचित पंजीयन ओ0एन0आर0 प्रपत्र भर-पर-ओ0एन0आर0 रखते हुए गृहण जांचक उपरान्त ही प्रसारित किये जाए।

Punjab
26.06.13

सही अनर्थिकता वाले निम्नलिखित एवं
4 के लिए राज्य के माध्यमिक स्तर
जकीयकृत/अल्पसंख्यक/प्रोजेक्ट/
परियोजना/स्वत्वाधारक/स्थापना
के लिए सादा ओ0एन0आर0 प्रपत्र
ने विद्यार्थी का ही पंजीयन माध्यमिक
न प्रपत्र भराने की पूरी प्रक्रिया पर

त माध्यमिक विद्यालयों में पंजीयन
अन्यता प्राप्त परियोजना विद्यालय/
स्था. निजी विद्यालय या अन्य स्वतंत्र
कर अपने विद्यालय से पंजीकृत करा
रते हैं। इसकी जांच अपने स्तर से
पंजी बैंक में शुल्क जमा करने की
नियमित कार्य पर अंकुश लगायी जा

परियोजना विद्यालय/स्वत्वाधारक
माध्यमिक परीक्षा-2014 के लिए
को निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में

Monitoring
Patna

- (क) विद्यालय में उपलब्ध सभी आधारभूत संरचना/सुविधा यथा विद्यालय में वर्गों और कुल उपलब्ध कक्षाओं तथा उनके आकार एवं उचित कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था के अतिरिक्त विद्यालय के प्रसूचित संबंधी शर्तों (यदि हो तो) के अनुरूप नामांकित छात्र/छात्राओं की नियमित उपस्थिति देखी जाए।
- (ख) विद्यालय में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या एवं उसके विरुद्ध पदस्थापित शिक्षकों की संख्या पंजीयन हेतु आवेदित विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु पर्याप्त है या नहीं।
- (ग) नामांकन पंजी एवं टीएसीए गार्ड फाईल की जाँच की जाए जिससे कि पता चल सके कि उनका अभ्यर्थित्व वैध है या नहीं।
- (घ) नामांकन के समय प्राप्त सारि/विकास शुल्क विद्यालय के कोष में जमा किया गया या नहीं।
- (ङ) नियमित विद्यार्थियों के बारे में विद्यालय के नववर्ग की वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल से पंजीयन आवेदन पत्र को सत्यापित कर लिया जाय।
- (च) स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रसूचित विद्यालय जिन्हें विद्यालय कोड तो प्राप्त है किन्तु जैसे विद्यालय निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमति/प्रसूचित है तो जैसे विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं और छात्रों को पठन-पाठन विधिवत हो रहा है अथवा ग्रागज पर विद्यालय का अस्तित्व है।
- (छ) स्वतंत्र परीक्षार्थियों के मामले में विद्यार्थी के निवास वाले जिले के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत उस जिला का आयासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- (ज) स्वतंत्र विद्यार्थियों से संबंधित आयासीय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर उसकी वैधता संबंधी जाँच निर्गत करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय से करा ली जाए।

3. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा- 2014 के लिए पंजीयन हेतु परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 01 मार्च 2013 को अनिवार्यतः 14 (चौदह) वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र के छात्र/छात्राओं का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष पूरा करने हेतु विद्यालय अभिलेख में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना जन्मतिथि में सुधार किया जाना नियम के प्रतिकूल है। इस पर कृपया निगरानी रखी जाए। 01 मार्च 2000 के बाद की जन्मतिथि के अभ्यर्थी वर्ष 2013 में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे।

4. सेक्रेटरी, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 314 दिनांक 07.06.2003 में निहित निर्देश एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली 1964 के अध्याय की धारा-3 में वर्णित स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करना अगिवार्य है।

- (क) ऐसे अभ्यर्थी स्वतंत्र रूप से राज्य के किसी राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय से पंजीकृत होंगे।
- (ख) ऐसे अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत आयासीय प्रमाण पत्र आचरण प्रमाण पत्र एवं जन्मतिथि के संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- (ग) जन्मतिथि के संबंध में छात्र के पास यदि राज्य के मान्यता प्राप्त मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र है और उसमें जन्मतिथि अंकित है तो उसकी मान्यता दी जाएगी अतथा छात्र के अनिमायक को जन्मतिथि के संबंध में कार्यवाहक दण्डाधिकारी द्वारा प्राप्त शपथ पत्र/निबंधक (जन्म मृत्यु) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

(घ) राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय के छात्रों के स्वतंत्र अभ्यर्थियों के द्वारा पंजीयन हेतु आयासीय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य है।

(च) विद्यालय के नियमित छात्रों के आयासीय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र देना अनिवार्य है।

(ज) स्वतंत्र अभ्यर्थियों की जाँच परीक्षा अलग-अलग संघालित नहीं की जाएगी।

5. अपने जिला में उपस्थित माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थाओं को सरकारी अनुदेश के अनुपालन में ही विद्यार्थियों के पंजीयन आवेदन पत्र को अप्रसारित करने हेतु सभी विद्यालय प्रधान की एक सूची तैयार कर राज्य में भेज दी जाएगी। यथा यथा संभव संस्थाओं की सुविधाएं देना अनिवार्य है।

6. राज्य के नव उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों तथा इन्टरमीडिएट स्तर के चारों महाविद्यालय जिसे माध्यमिक स्तर की पढ़ाई हेतु सम्बन्धन प्राप्त है, में (नियमित) नामांकित छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में पंजीयन हेतु उत्प्रेषित होने हेतु उपर कडिका 1 से 5 में वर्णित सरकारी आदेश एवं अनुदेश की परिधि में माने जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2013 के दौरान विभिन्न जिलों के अनेक परीक्षा केन्द्रों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जॉच दल द्वारा निरीक्षण में अपने वास्तविक उम्र से उम्र घटाकर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों के संबंध में कई मामले समिति को प्रतिवेदित किए गए हैं। इन प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल को स्थगित (withheld) किया गया एवं इन मामलों में उम्र के सत्य होने संबंधित जिला के मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्र सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अनुभवों के आधार पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के उम्र का सत्यापन पंजीयन हेतु ओ० एम० आर० फार्म सफलतापूर्वक करने के पश्चात् जिला में गठित एक जॉच दल द्वारा उम्र का सत्यापन करने के पश्चात् ही सुयोग्य परीक्षार्थियों का ओ० एम० आर० समिति में प्राप्त किए जाएंगे। इस विशेष जॉच दल की रूप रेखा निम्न प्रकार की होगी।

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी - संयोजक
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक वरीय उप समाहता
3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)

राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय से उत्प्रेषित स्वतंत्र परीक्षार्थियों का ओ०एम०आर० समेकित विवरणी-एवं संगत अन्य अभिलेख तैयार कर अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (जॉच समिति के संयोजक) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी जॉचोपरान्त जॉच कमिटी की अनुशंसा सहित सही छात्र/छात्राओं का ओ०एम०आर० बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अग्रसारित करेंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं पर जॉच के उपरान्त ही सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का पंजीयन आवेदन प्रपत्र (ओ०एम०आर० फार्म) समिति को भेजना सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि संदिग्ध एवं नाजायज ढंग से पंजीयन करा कर माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह अंकुश लग सके। इस पुनीत कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है।

विश्वासभाजन

राजमणि प्रसाद सिंह
(राजमणि प्रसाद सिंह) 26/6/13

अध्यक्ष

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

T-C
Annex -1A

पत्रांक- के0/427

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

प्रेषक

मो० राजमणि प्रसाद सिंह

अध्यक्ष

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

सेवा मे

1. सूची जिला पदाधिकारी
2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना दिनांक- 26.6.2013

विषय:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2014 मे सम्मिलित होने हेतु विद्यालयो द्वारा सही अभ्यर्थीयो वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थीयो के पंजीयन के संबंध मे ।

महाशय

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि आगामी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा -2014 के लिए राज्य के माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के शिक्षण संस्थानो/यथाराजकीय /राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/प्रोजेक्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय/प्रस्वीकृत /सम्पोषित/परियोजना/स्वत्वाधारक/स्थापना अनुमति/सम्बद्धता प्राप्त आदि/ के नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थीयो के पंजीयन के लिए सादाओएमओआरओ प्रपत्र आपके कार्यालय मे विद्यालयो को वितरित किए जाने हेतु भेजे जा रहे हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक है कि सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थी का ही पंजीयन माध्यमिक परीक्षा हेतु किया जाए और इस कार्य में आपके सहयोग के साथ साथ पंजीयन प्रपत्र भराने की पूरी प्रक्रिया पर आपका सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।

निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित माध्यमिक विद्यालयों में पंजीयन ओ.एम.आर. प्रपत्र भराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये :-

1. ऐसा पाया जा रहा है कि राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त परियोजना विद्यालय/स्वत्वधारक विद्यालय/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय किसी कोचिंग संस्था निजी विद्यालय या अन्य स्वतंत्र छात्र/छात्राओं को अपने विद्यालय में नियमित रूप से नामांकित दिखाकर अपने विद्यालय से पंजीकृत करा लेते हैं जबकि वास्तव में वे उक्त विद्यालय में पठन पाठन नहीं करते हैं। इसकी जांच अपने स्तर से नामांकन पंजी एवं टी.सी.गार्ड फाइल फीस बुक/रसीद उपस्थिति पंजी बैंक में शुल्क जमा करने की तिथि/राशि तथा अन्य अभिलेख से करायी जाये जिससे कि ऐसे अनियमित कार्य पर अंकुश लगायी जा सके ।
2. जिला स्थित सभी राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्याक/मान्यता प्राप्त परियोजना विद्यालय/स्वत्वधारक विद्यालय/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय आदि विद्यालयों से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 के लिए अग्रसारित पंजीयन ओ.एम.आर /भरे गए ओ एम आर प्रपत्र/ को निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जांच के उपरांत ही अग्रसारित किये जाए ।

- क. विद्यालय में उपलब्ध सभी आधारभूत संरचना/सुविधा यथा विद्यालय में वर्गों और कुल उपलब्ध कक्षाओं तथा उनके आकार एवं उक्त कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था के अतिरिक्त विद्यालय के प्रस्वीकृति संबंधी शर्तों /यदि हो तो/ के अनुरूप नामांकित छात्र/छात्राओं की नियमित उपस्थिति देखी जाए ।
- ख. विद्यालय में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या एवं उसके विरुद्ध पदस्थापित शिक्षकों की संख्या पंजीयन हेतु आवेदित विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु पर्याप्त हैं या नहीं ।
- ग. नामांकन पंजी एवं टी.सी.गार्ड फाईल की जांच की जाए जिससे कि पता चल सके कि उनका अभ्यर्थित्व वैध है या नहीं ।
- घ. नामांकन के समय प्राप्त राशि/विकास शुल्क विद्यालय के कोष में जमा किया गया या नहीं ।
- ड. निर्बंधित विद्यार्थियों में यदि में विद्यालय के चयन वर्ग की वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफलस पंजीयन आवेदन पत्र की सत्यापित कर लिया जाय ।
- च. स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति विद्यालय जिन्हें विद्यालय कोड तो प्राप्त है किन्तु जैसे विद्यालय निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमति/प्रस्वीकृत है तो जैसे विद्यालय में पर्याप्त संख्या में शिक्षक है और छात्रों को पठन पाठन विधिवत हो रहा है अथवा कागज पर विद्यालय का अस्तित्व है ।
- छ. स्वतंत्र परीक्षार्थियों के मामले में विद्यार्थी के निवास वाले जिले के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत उस जिला का आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
- ज. स्वतंत्र विद्यार्थियों से संबंधित आवासीय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र पत्रधानाध्यापक से प्राप्त कर उसकी वैधता संबंधी जांच निर्गत करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय से करा ली जाए ।
3. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2014 के लिए पंजीयन हेतु परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 01 मार्च 2013 को अनिवार्यता 14 /चौदह वर्ष हानौ चाहिए । इससे कम उम्र के छात्र छात्राओं का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा । 14 वर्ष पूरा करने हेतु विद्यालय अभिलेख में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना जन्मतिथि में सुधार किया जाना नियम के प्रतिकूल है । इस पर कृपया निगरानी रखी जाए । 1 मार्च 2000 के बाद की जन्मतिथि के अभ्यर्थी वर्ष 2013 में पंजीकृत नहीं किए जायेंगे ।
4. सकेण्डी प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 314 दिनांक 7.6.2003 में निहित निर्देश एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली 1964 के अध्याय की धारा 3 में वर्णित स्वतंत्र परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य है ।
- क. ऐसे अभ्यर्थी स्वतंत्र रूप से राज्य के किसी राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय से पंजीकृत होंगे ।
- ख. ऐसे अभ्यर्थी को सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आचरण प्रमाण पत्र एवं जन्मतिथि के संबंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा ।
- ग. जन्म तिथि के संबंध में छात्र के पास यदि राज्य के मान्यता प्राप्त मध्य विद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र है और उसमें जन्मतिथि अंकित है तो उसकी मान्यता दी जाएगी अन्यथा छात्र के अभिभावक को जन्मतिथि के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्राप्त शपथ पत्र/निबंधक /जन्म मृत्यु/ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।
- घ. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय जहा स्वतंत्र
5. अपने जिला में अवस्थित माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने उवाले सभी संस्थाओं को सरकारी अनुदेश के अनुपालन में ही विद्यार्थियों के पंजीयन आवेदन पत्र को अग्रसारित करने हेतु सभी विद्यालय प्रधान की एक बैठक बुलाकर इस संबंध में दृढ़ निर्देश दिये जाये । साथ साथ इसका अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय ।

6. राज्य के नव उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों तथा इन्टरमिडिएट स्तर के वैसे महाविद्यालय जिसे माध्यमिक स्तर की पढाई हेतु संबन्धन प्राप्त है में /नियमित/ नामांकित छात्र/छात्राओं को नियमित रूप से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में पंजीयन हेतु उत्प्रेषित होने हेतु उपर कडिका 1 से 5 में वर्णित सरकारी आदेश एवं अनुदेश की परिधि में माने जायेंगे ।

उल्लेखनीय है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2013 के दौरान विभिन्न जिलों के अनेक परीक्षा केन्द्रों पर जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जांच दल द्वारा निरीक्षण में अपने वास्तविक उम्र से उम्र धटाकर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों के परीक्षाफल को स्थगित (withheld) किया गया एवं इन मामलों में उम्र के सत्य हेतु संबंधित जिला के मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्र सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया । उक्त अनुभवों के आधार पर अभ्यर्थी विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के दल द्वारा उम्र का सत्यापन करने के पश्चात ही सुयोग्य परीक्षार्थियों का ओ.एम.आर.समिति में प्राप्त किए जायेंगे । इस विशेष जांच दल की रूप रेखा निम्न प्रकार की होगी ।

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी-संयोजक
2. जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक वरीय उप समाहर्ता
3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी /माध्यमिक शिक्षा/

राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के विद्यालय प्रधान अपने विद्यालय से उत्प्रेषित स्वतंत्र परीक्षार्थियों का ओ.एम.आर. समेकित विवरणी एवं संगत अन्य अभिलेख तैयार कर अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी /जांच समिति के संयोजक / के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी जांचोपरांत जांच कमिटी की अनुशंसा सहित सही छात्र/छात्राओं का ओ.एम.आर. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अग्रसारित करेंगे ।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर जांच के उपरांत ही सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का पंजीयन आवेदन प्रपत्र /ओ.एम.आर.फार्म/समिति को भेजना सुनिश्चित किया जाये जिससे कि सांदिग्ध एवं नाजायज ढंग से पंजीयन करा कर माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह अंकुश लग सके । इस पूनीत कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है ।

विश्वासभाजन

ह./-राजमणि प्र. सिंह

26.6.13

/राजमणि प्रसाद सिंह/

अध्यक्ष

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

Annex - 2

29

14/13

03.08.13

कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना, मधेपुरा

कार्यालय-आदेश

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक के0/427 दिनांक 26.06.2013 एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा के पत्रांक 1410 गो0 दिनांक 12.07.2013 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिल होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अभ्यर्थित्व वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन की जाँच हेतु जाँच समिति का गठन किया गया है जो निम्न रूप में है :-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा - संयोजक
2. श्री संदीप कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा -
3. श्री विनायक पाण्डेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना, मधेपुरा -

सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक के0/427 दिनांक 26.06.2013 (छथाप्रति संलग्न) का अनुपालन करते हुए सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का पंजीयन ओ0एम0आर0 प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करेंगे ।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि विद्यालयों से भरा हुआ ओ0एम0आर0 पत्र जमा होने पर उसे जाँच समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा ।

ज्ञापांक 1711 मधेपुरा दिनांक 01/08/2013

प्रतिलिपि:- जिले के सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय प्रधान को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा ।

01.08.13

T.C.
Annex - 2

कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना मधेपुरा
कार्यालय आदेश

अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के./427 दिनांक 26.6.2013 एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधेपुरा के पत्रांक 1410 गो. दिनांक 12.7.2013 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिल होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अभ्यर्थित्व वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन की जांच हेतु जांच समिति का गठन किया गया है जो निम्न रूप में है:-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा संयोजक
2. श्री संदीप कुमार सिंह वरीय उप समाहर्ता मधेपुरा
3. श्री विनायक पाण्डेय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना मधेपुरा-

सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक के./427 दिनांक 26.6.2013 /छाया प्रति संलग्न/ का अनुपालन करते हुए सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों का पंजीयन ओ.एम.आर.प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना मधेपुरा को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालयों से भरा हुआ ओ.एम.आर. पत्र जमा होने पर उसे जांच समिति के सिमक्ष उपस्थापित करेंगे।

ह./-
जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक 1711 मधेपुरा दिनांक 1.8.2013

प्रतिलिपि:- जिले के सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के विद्यालय के विद्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह./-अस्पष्ट

1.8.2013

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा

File-16/12-8-13

Annex-3

30

कायदा 3-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

पत्रांक 1752 /

सेवा में
जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

सभी राजकीय कृत/राजकीय/प्रोजेक्ट/उत्कर्मित/वित्त रहित
स्थापना अनुमति प्राप्त (अनुदानित) विद्यालय के प्रधान।

मधेपुरा, दिनांक 06/08/2013

विषय:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु निर्गत पंजीयन प्रपत्र की जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अंकित करना है कि अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक के0/427 दिनांक 26.06.13 एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा मधेपुरा के पत्रांक 1410 (गो0) दिनांक 12.07.13 एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापक 1711 दिनांक 01.08.13 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अभ्यर्थित्व वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन की वैधता की जाँच हेतु प्रखंडवार निम्नांकित रूप से तिथि निर्धारित की जाती है।

क्रमांक	पखंड का नाम	जाँच हेतु उपस्थित होने की तिथि
1	चौसा ग्यालपाड़ा	13.08.13
2	आलमनगर पुरैनी	14.08.13
3	बिहारीगंज घैलाढ़	15.08.13
4	उदाकिशनगंज	17.08.13
5	कुमारखंड गम्हरिया	18.08.13
6	मुरलीगंज	19.08.13
7	सिंहेश्वर शंकरपुर	20.08.13
8	मधेपुरा	21.08.13

निर्देश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापक 1711 दिनांक 01.08.13 के साथ सलग्न अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक के0/427 दिनांक 26.06.13 में अंकित 01 से 05 में वर्णित बिन्दु के जाँच हेतु विद्यालय का आवश्यक सभी अभिलेख उपरोक्त निर्धारित तिथि को जाँच समिति के सम्क्ष उपस्थापित करेंगे। ताकि जाँचोपरान्त आपके द्वारा समर्पित पंजीयन आवेदन प्रपत्र को अग्रसारित करने के संबंध में आवश्यक कारवाई की जा सके।

विश्वराभाजन
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

T.C
Annex-3

पत्रांक- 1752

प्रेषक

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा ।

सेवा मे

सभी राजकीय कृत/राजकीय/प्रोजेक्ट/उत्कमित/वित रहित
स्थापना अनुमति प्राप्त/अनुयानित/विद्यालय के प्रधान ।

मधेपुरा दिनांक 6.8.2013

विषय:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु निर्गत पंजीयन प्रपत्र की जांच के संबंध मे ।
महाशय

उपर्युक्त विषयक के संबंध मे अंकित करना है कि अध्यक्ष विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक-
के0/427 दिनांक- 26.6.13 एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मधेपुरा के पत्रांक 1410 /गो./
दिनांक 12.7.13 एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापांक 1711 दिनांक 1.8.13 के आलोक में वार्षिक माध्यमिक
परीक्षा 2010 सम्मिलित होने हेतु विद्यालयों द्वारा सही अभ्यर्थित्व वाले नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन
की वैधता की जांच हेतु प्रखंडवार निम्नांकित रूप से तिथि निर्धारित की जाती है।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	जांच हेतु उपस्थित होने की तिथि
1	चौसा ग्वालपडा	13.8.13
2	आलमनगर पुरैनी	14.8.13
3	बिहारीगंज धैलाढ	16.8.13
4	उदाकिशुनगंज	17.8.13
5	कुमारखंड गम्हरिया	18.8.13
6	मुरलीगंज	19.8.13
7	सिंहेश्वर शंकरपुर	20.8.13
8	मधेपुरा	21.8.13

निर्देश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी उकार्यालय के ज्ञापांक 1711 दिनांक 1.8.13 के साथ संलग्न
अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के./427 दिनांक 20.8.13 में अंकित 01 से 05 में वर्णित
बिन्दु के जांच हेतु विद्यालय का आवश्यक सभी अभिलेख उपरोक्त निर्धारित तिथि को जांच समिति के सम्मक्ष
उपस्थापित करेंगे । ताकि जांचोपरांत आपके द्वारा समर्पित पंजीयन आवेदन प्रपत्र को अग्रसारित करने के संबंध
में आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा ।

Annex-4


31


कार्यालय— जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
(माध्यमिक शिक्षा)


वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु पंजीयन प्रपत्र के जाँच प्रतिवेदन

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के0/427 दिनांक 26.06.13 के द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा के जापांक के0/427 दिनांक 01.08.13 के द्वारा जाँच हेतु समिति का गठन करते हुए पत्रांक 1752 दिनांक 06.08.13 के द्वारा विद्यालयों का वर्ष 2014 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन जाँच हेतु प्रखंडवार जाँच की तिथि निर्धारित की गयी।

प्रधानाध्यापकों के द्वारा जाँच के क्रम में दिये गये प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। ज्ञातव्य हो कि इस जिले में स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होनेवाले छात्र/छात्राओं का पंजीयन विद्यालयों के द्वारा नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापकों के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं जाँच के क्रम में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से प्रतीत होता है कि विद्यालयों द्वारा नामांकित छात्र/छात्राओं का पंजीयन प्रपत्र भरा गया है।


जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(माध्यमिक शिक्षा) मधेपुरा
22/8/13


वरीय उपसमाह्विता
मधेपुरा


जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा
22/8/13

T-C
Annex-4

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा ।

/माध्यमिक शिक्षा/

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु पंजीयन प्रपत्र के जांच प्रतिवेदन

अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के./427 दिनांक 26.6.12 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के ज्ञापांक 427 दिनांक 4.8.13 के द्वारा जांच हेतु समिति का गठन करते हुए पत्रांक 1752 दिनांक 6.8.13 के द्वारा विद्यालयों का वर्ष 2014 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन जांच हेतु प्रखंडवार जांच की तिथि निर्धारित की गयी ।

प्रधानाध्यापकों के द्वारा जांच के कम में दिये गये प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। ज्ञातव्य हो कि इस जिले में स्वतंत्र रूप से सम्मिलित समिति छात्र/छात्राओं का पंजीयन विद्यालयों के द्वारा नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापकों के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं जांच के कम में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से प्रतीत होता है कि विद्यालयों द्वारा नामांकित छात्र/छात्राओं का पंजीयन प्रपत्र भरा गया है।

ह./-अस्पष्ट

22.8.13

जिला कार्यक्रम पदा.

/म.शि./ मधेपुरा

ह./-अस्पष्ट

22.8.13

वरीय उपसमाहर्ता

मधेपुरा

ह./-अस्पष्ट

22.8.13

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा

Annex-5

32

कार्यालय— जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
(माध्यमिक शिक्षा)

पत्रांक 142 (उच्च)

प्रेषक:— जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(मा० शि०) मधेपुरा।

प्रेषण में,
सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना।

मधेपुरा, दिनांक 26-8-2013

विषय:— वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु पंजीयन प्रपत्र के जाँच के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के०/427 दिनांक 23.06.13 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जाँच समिति द्वारा की गई जाँच का जाँच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ सलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन
26.8.13
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(मा० शि०) मधेपुरा

T-C
Annex 5

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा ।
/माध्यमिक शिक्षा/

पत्रांक 142 /उच्च/

प्रेषक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी /मा.शि./ मधेपुरा ।

सेवा में

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

मधेपुरा दिनांक 26.8.13

विषय:- वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 हेतु पंजीयन प्रपत्र के जांच के संबंध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक के./427 दिनांक 25.6.13 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जांच समिति द्वारा की गयी जांच का जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

/शि./मधेपुरा ।

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा
शाखा - गाछामिक शिक्षा

पत्रांक 143(उच्च)

प्रेषक: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
भा.मि. मधेपुरा।

सेवा में

अधिव
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
पटना।

मधेपुरा, दिनांक 26/12/2013

विषय: - भागांगी गाछामिक परीक्षा हेतु पंजीयन से
संबंधित भरे हुए OMR फार्म, डाटा प्रति एवं
शुल्कादि की राशि जमा करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयकित संदर्भ में अवदीय
विज्ञापि सं 37/2013 के आलोक में भंडित करना है
कि भागांगी गाछामिक परीक्षा हेतु पंजीयन से संबंधित
भरे हुए OMR फार्म, डाटा प्रति एवं शुल्कादि की
राशि (बैंक-यालान के खाते) बिना विलम्ब-दण्ड के एवं
विलम्ब-दण्ड के साथ जिले के संबंधित विद्यालय
प्रधान से प्राप्त हुआ है, जिसे संलग्न कुन्नी के
अनुसूच विशेष काहव द्वारा अवदीय सेवा में समर्पित
की जाती है।

अनु-यकोक्त।

विश्वनाथभाजन

(12/12/13)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
भा.मि. मधेपुरा।

T.C
Annex 6

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा
शाखा माध्यमिक शिक्षा

पत्रांक 143 /उच्च/

प्रेषक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
म.शि. मधेपुरा ।

सेवा में

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ।

मधेपुरा दिनांक 26.8.2013

विषय:- आगामी माध्यमिक परीक्षा हेतु पंजीयन से संबंधित भरे हुए ओ.एम.आर. फार्म डाटा प्रति एवं शुल्कादि की राशि जमा करने के संबंध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषयांकित संदर्भ में भवदीय विज्ञप्ति सं. 37/2013 के आलोक में अंकित करना है कि आगामी माध्यमिक परीक्षा हेतु पंजीयन से संबंधित भरे हुए ओ.एम.आर. फार्म डाटा प्रति एवं शुल्कादि की राशि /बैंक चालान के रूप में/ बिना विलंब दण्ड के एवं विलंब दण्ड के साथ जिले के संबंधित विद्यालय प्रधान से प्राप्त हुआ है। जिसे संलग्न सूची के अनुरूप विशेष वाहक द्वारा भवदीय सेवा में समर्पित की जाती है।

अनु-यथोक्त

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

26.8.13

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
म.शि.मधेपुरा

Annex-7

34

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

(माध्यमिक शाखा)

पत्रांक 406 (17/11)

पत्रांक - जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(माध्यमिक शिक्षा) मधेपुरा।
सभी प्रदाड शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा, दिनांक 14-11-2013

विषय - फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित कराने हेतु छात्र/छात्राओं का सूचीकरण (OMR) प्रपत्र भराने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अंकित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 289-13 दिनांक 12.09.13 के द्वारा आप को जिले के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/उत्कर्मित/वित्तरहित/स्थापनाअनुमति प्राप्त उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा प्राप्त शैक्षणिक सत्र 2012-13 में वर्ग नवम् में नामांकित छात्र/छात्राओं का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आपको उपलब्ध कराया गया था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2013-14 में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित कराने हेतु का सूचीकरण (OMR) प्रपत्र भराया गया।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के निर्देशानुसार एवं जिल्ला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा से दूरभाष पर हुई वार्ता के अलावा आपको निदेश दिया जाता है कि जैसे उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक जिन्होंने फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन किए हैं, उन उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करा कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विरवासभाजन
(14/11/13)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(माध्यमिक शिक्षा) मधेपुरा।
14-11-13

405 में एक केवल एक 14/11/13
406 में ही एक ही वाले हैं

कमरे कम तीन दिन का समय दिया जाना था।

T.C
Annex 7

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा
/माध्यमिक शाखा/
पत्रांक 406 /नि./
प्रेषक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
/माध्यमिक शिक्षा/ मधेपुरा ।

सेवा में

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा दिनांक 14.11.2013

विषय:- फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित कराने हेतु छात्र/छात्राओं का सुधीकरण /ओ.एम.आर./प्रपत्र भराने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।
महाशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 289-13 दिनांक 12.9.13 के द्वारा आप को जिले के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/उत्कमिक/वित्तरहित/स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा प्राप्त शैक्षणिक सत्र 2012-13 में वर्ग नवम में नामांकित छात्र/छात्राओं का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आपको उपलब्ध कराया गया था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2013-14 में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित कराने हेतु का सूचीकरण /ओएमआर/ प्रपत्र भराया गया ।

जिला पदाधिकारी मधेपुरा के निर्देशानुसार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा से दूरभाष पर हुयी वार्ता के आलोक में आपको निर्देश दिया जाता है कि जैसे उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक जिन्होंने फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन किए हैं उन उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करा कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

14.11.13

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

/मा.शि./ मधेपुरा।

पत्रांक 405 में स्पष्टीकरण पूछा 14.11.13 406 में ही एक ही डेट में कम से कम तीन दिन का समय किया जाना था ।

Hindustan

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या 04/2014 09 Jan 2014

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2014 से संबंधित

एतद् द्वारा दिनांक 06 मार्च 2014 से आयोजित होनेवाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थी, अभिभावक, माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करनेवाले सभी विद्यालय प्रधान/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गए पंजीयन ओएमओआरओ फार्म में दर्ज की गई प्रविष्टि के आधार पर पंजीयन रसीद तैयार कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में भेजे जा रहे हैं।

इसके साथ ही वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2014 में सम्मिलित होने हेतु सादा परीक्षा आवेदन फार्म/सादा समेकित विवरणी (डाटा फार्म) भी भेजी जा रही है।

विद्यालय प्रधान स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत दूत के माध्यम से अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अपने विद्यालय से संबंधित सामग्री निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त करेंगे एवं जमा करेंगे।

कार्यक्रम	शुल्क संरचना	शुल्क राशि
1. विद्यालय प्रधान द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से पंजीयन रसीद/सादा परीक्षा आवेदन फार्म आदि वितरण की तिथि : 10.01.2014	[A] सामान्य कोटि के परीक्षार्थी : (1) सादा परीक्षा आवेदन फार्म शुल्क - (2) परीक्षा शुल्क - (3) विविध शुल्क - (4) अंक पत्र शुल्क - (5) शुल्क (विज्ञान आन्तरिक) -	20 = 00 90 = 00 300 = 00 125 = 00 30 = 00
2. विद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म एवं शुल्कादि प्राप्त करने की तिथि : (i) बिना विलम्ब दण्ड के 22.01.2014 (ii) विलम्ब दण्ड के साथ 25.01.2014	(6) व्यावहारिक परीक्षा शुल्क (केवल गृह विज्ञान/नृत्य/संगीत/ ललित कला के परीक्षार्थियों के लिए)	कुल रुपये- 565 = 00 15 = 00
3. विधिवत् भरे गए फार्म एवं शुल्कादि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की तिथि : 27.01.2014	[B] आरक्षित कोटि के परीक्षार्थी : (1) सादा परीक्षा आवेदन फार्म- (2) विविध शुल्क- (3) अंक पत्रक शुल्क- (4) शुल्क (विज्ञान आन्तरिक) -	20 = 00 300 = 00 125 = 00 30 = 00
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से परीक्षा समिति कार्यालय में फार्म एवं शुल्कादि प्राप्त कराने की तिथि : 29.01.2014	(5) व्यावहारिक परीक्षा शुल्क (केवल गृह विज्ञान/नृत्य/संगीत/ ललित कला के परीक्षार्थियों के लिए)	कुल रुपये- 475 = 00 15 = 00
	कुल रुपये-	490 = 00

नोट : (i) विद्यालय से उत्प्रेषित छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुरूप जिला शिक्षा पदाधिकारी सादा परीक्षा आवेदन पत्र विद्यालय प्रधान को प्राप्त करवायेंगे। सादा परीक्षा आवेदन फॉर्म की राशि एक साथ चलान के माध्यम से प्राप्त किये जाएंगे।
(ii) विलम्ब दण्ड शुल्क 100/- प्रति परीक्षार्थी देय है।